न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 138 / 2022

1 दयाकोर पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपीलांट

बनाम

1 प्रबन्धक श्री कृष्ण गौशाला, चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुन राज.।
2 बाबूलाल पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासी चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

रेस्पोडेंट

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी
अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय उपखण्ड
अधिकारी चिड़ावा दिनांक 17.08.2022 उनवानी
दयाकोर बनाम श्री कृष्ण गौशाला चिड़ावा
मु.नं. 24 / 2020 अ. धारा 251ए राज.का.अधि.

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपील संख्या 157/2022

1 प्रबन्धक श्री कृष्ण गोशाला चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू जरिये अध्यक्ष परसराम सूरजगढ़िया निवासी चिड़ावा जिला झुन्झुनू।

अपीलान्ट

बनाम

1 दयाकोर पत्नी बाबूलाल जाति जाट निवासीगण डालमिया स्कूल के सामने जोधपुर मिष्ठान भण्डार के पीछे चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।
2 बाबूलाल पुत्र हनुमान सिंह जाति जाट निवासीगण डालमिया स्कूल के सामने जोधपुर मिष्ठान भण्डार के पीछे चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनू राज.।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 17.08.2022
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा
बमुकदमा उनवानी दयाकोर आदि बनाम
प्रबन्धक श्री कृष्ण गोशाला मु.नं. 24/2020
आवेदन पत्र अ धारा 251 ए राज. काश्त
अधिनियम

उपस्थिति :

1. श्री राजेश बोगारिया, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री मनोहरलाल सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

—निर्णय—

दिनांकः— 25.7.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिड़ावा द्वारा मुकदमा 24/2020 में पारित निर्णय दिनांक 17.08.2022 के विरूद्व प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में प्रार्थीगण दयाकोर वगै. की ओर एक आवेदन पत्र अ. धारा 251 ए आर.टी.एक्ट पेश किया गया कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 1291/81 रकबा 0.73 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 281 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1292/281 रकबा 0.76 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1293/281 रकबा 0.76 हैक्टेयर कुल किता 4 कुल रकबा 3.01 हैक्टेयर राजस्व ग्राम चिड़ावा में स्थित है। आवेदकगण/रेस्पोडेन्टस उक्त भूमि के खातेदार काश्तकार है तथा अपनी भूमि में आने जाने के लिए आवदेकगण के पास कोई रास्ता नहीं है। कृषि भूमि खसरा नम्बर 283 रकबा 26.16 हैक्टेयर अनावेदक/अपीलान्ट की कृषि भूमि है। उक्त भूमि आवेदकगण/रेस्पोडेन्टस के नजदीक लगती है उक्त भूमि से रेस्पोडेन्ट को अपनी भूमि में जाने के लिए सबसे छोटा सुलभ रास्ता लगता है आदि पेश किया गया। मामले में नायब तहसीलदार चिड़ावा की मौका रिपोर्ट दिनांक 19.05.2022 के आधार पर रेस्पोडेन्टस/आवेदकगण के द्वारा प्रस्तावित रास्ता के अनुसार मामले में बहस सुनी जाकर दिनांक 17.08.2022 को आवेदन पत्र स्वीकार कर लिया गया। जिससे व्यथित होकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी की ओर से अपील संख्या 157/2022, 138/2022 प्रस्तुत की गई है। दोनों अपीले एक ही आदेश के विरूद्ध होने से दोनों का निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियां दोनों पत्रावलियों में पृथक—पृथक रखी जावें।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट दयाकोर वगै ने तर्क दिया कि प्रार्थीगण द्वारा लघुत्तम रास्ते की मांग की गई थी। विचारण न्यायालय द्वारा मौका रिपोर्ट के विपरित विचाराधीन निर्णय से सींव के सहारे–सहारे लम्बी दुरी का रास्ता दिया गया है। अतः विचारण न्यायालय का निर्णय धारा 251 ए के विधिक प्रावधानों के अनुरूप नहीं है। अतः अपील स्वीकार कर विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जावें एवं अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर निकटतम रास्ता दिया जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेंट श्री कृष्ण गौशाला ने तर्क दिया कि विचारण न्यायालय के आदेश पर दिनांक 17.03.2021 को तहसीलदार चिड़ावा द्वारा मौके की रिपोर्ट तैयार की गई जिसको शामिल मिसल किया गया। उक्त रिपोर्ट पर आपति आने पर पुनः प्रस्तावित वैकल्पिक एवं नजदीकी रास्ते की मौके की रिपोर्ट बाबत पुनः तहसीलदार चिड़ावा को तहरीर जारी की गई जिस पर दिनांक 19.05.2022 को नायब तहसीलदार चिड़ावा द्वारा मौके की जांच रिपोर्ट तैयार कर विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई। उक्त रिपोर्ट के आधार पर विचारण न्यायालय ने आदेश पारित करने में भारी कानूनी भूल की है। क्योंकि उक्त रिपोर्ट के साथ संलग्न नजरी नक्शा में रेस्पोडेन्टस के भूमि खसरा नम्बर 1293/281 के संलग्न भूमि खसरा नम्बर 282 है उक्त भूमि में से प्रस्तावित रास्ता एवं प्रचलित रास्ते से लम्बाई 73 मीटर दर्शाई गई है फिर भी विचारण न्यायालय ने पूर्व से नजदीकी रास्ता होने के बावजूद भी अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 283 में से 132 मीटर लम्बा रास्ता देने के लिए आदेश पारित कर दिया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 251 ए के अनुसार किसी पक्षकार को उसकी सुविधा के अनुसार रास्ता देने का प्रावधान नहीं है। इसलिए विचारण न्यायालय ने अपने आदेश में अपीलान्ट की भूमि खसरा नम्बर 283 में से जो रास्ता दिये जाने का आदेश पारित किया है वो निरस्त होने योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जावें। विचाराधीन निर्णय

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)

अपास्त किया जावें एवं अपीलान्ट दयाकोर वगै. द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। विचारण न्यायालय की पत्रावली में सलग्न नजरी नक्शे के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा नम्बर 1291/281 के सामने 132 मीटर लम्बाई का रास्ता जो प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया है। मौके पर चालु है किन्तु इस रास्ते के कारण अप्रार्थीगण की भूमि दो हिस्सों में विभक्त होती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए विचारण न्यायालय द्वारा विचाराधीन निर्णय से सींव के सहारे–सहारे 192 मीटर लम्बाई का रास्ता प्रदान किया गया है। विचारण न्यायालय के इस निर्णय में हम कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील में ग्राम श्योपुरा की तरफ अवस्थित रास्ता से प्रार्थीगण को रास्ता दिये जाने का कथन किया गया है किन्तु मौका रिपोर्ट के सलंग्न नजरी नक्शे में यह रास्ता मौके पर बन्द होने का अंकन है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत पाया जाता है। इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर दोनों अपीले खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 25.7.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर